बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक 02.09.2015 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक–02.09.2015 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। बैठक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति श्री शुभमूर्ति जी भी उपस्थित थे।

प्रधान सचिव ने सर्वप्रथम निदेश दिया कि इस बैठक में स्थानांतरण के फलस्वरूप दो तिहाई से भी अधिक नये अपर समाहर्त्ता प्रथम बार भाग ले रहे हैं। इन सभी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाये जानेवाले महत्वपूर्ण अभियान यथा :–

1. अभियान भूमि दखल देहानी
2. अभियान बसेरा
3. शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण
4. भू–हदबंदी
5. दाखिल–खारिज
6. महादलित विकास योजना एवं
7. भूदान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं क्रियान्वयन के अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। श्री शशिभूषण तिवारी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव द्वारा उक्त अभियानों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देते हुए लक्ष्य की निर्धारित समय–सीमा एवं लक्ष्य के प्राप्ति हेतु उठाये गये कार्यों से सभी अपर समाहर्त्ताओं को अवगत कराया गया। साथ ही इन अभियानों से सम्बन्धित विभागीय संकल्पों एवं पत्रों की छायाप्रति भी उनको उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात् गत बैठक की कार्यवाही के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

1. अभियान बसेरा एवं ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी :–इस अभियान के तहत आवंटित राशि की समीक्षा की गई। आवंटन के विरूद्ध उपयोगिता/ व्यय प्रतिवेदन भेजने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

2. **दाखिल–खारिज** :–दाखिल–खारिज का काम शिविर लगाकर किये जाने एवं शिविर न्यायालय के माध्यम से दाखिल–खारिज मामले का निपटारा करने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

3. **भू–हदबंदी** :– भू–हदबंदी मामलों की गहन समीक्षा के दौरान समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडलाधिकारी के यहां लंबित वादों के संबंध में निदेशित किया गया कि इसे त्वरित गति से समय सीमा के अंदर निपटाया जाय।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

4. **न्यायालय** :–CWJC मामलों की गहन समीक्षा की गई। इसमें कुल 706 मामले लंबित पाये गये।

जिला	लंबित मामले		जिला	लंबित मामले
अररिया	9		कैमूर	4
अरवल	11		खगड़िया	7
बेगूसराय	21		किशनगंज	11
बक्सर	9		मधेपुरा	35
गया	21		मुंगेर	10
गोपालगंज	24		नवादा	7
रोहतास	24		सिवान	29
समस्तीपुर	40		वैशाली	14
शिवहर	5			

MJC मामलों की गहन समीक्षा की गई।इसमें कुल 25 मामले लंबित पाये गये।

जिला	लंबित मामले		जिला	लंबित मामले
बेगूसराय	3		पटना	2
दरभंगा	2		भोजपुर	1
पूर्वी0 चंपारण	1		पूर्णिया	1
जमुई	1		सहरसा	1
जहानाबाद	1		सुपौल	1
कटिहार	1		सारण	1
किशनगंज	1		सीतामढ़ी	1
मधेपुरा	1		सीवान	1
मुजफ्फरपुर	1		वैशाली	1
नालंदा	1			

LPA मामलों की गहन समीक्षा की गई। इसमें कुल 14 मामले लंबित पाये गये।

जिला	लंबित मामले		जिला	लंबित मामले
भागलपुर	1		मुजफ्फरपुर	1
दरभंगा	1		रोहतास	1
पूर्वी चंपारण	1		सुपौल	1
कटिहार	1		पटना	6
मुंगेर	1			

SLP मामलों की गहन समीक्षा की गई। इसमें कुल मामले लंबित पाये गये।

जिला	लंबित मामले		जिला	लंबित मामले
जहानाबाद	1		सिवान	1
पूर्वी चंपारण	1		औरंगाबाद	1
नालंदा	2		सीतामढ़ी	2

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 11 एवं सभी जिला)

5. **संविदा :-**संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश सभी जिलों के अपर समाहत्ताओं को प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(**कार्रवाई**– प्रशाखा 3,4,5 एवं सभी जिला)

6. **सेवांत लाभ :-** प्रधान सचिव द्वार खेद व्यक्त किया गया है कि ए0सी0पी0के मामले का ऑनलाईन रिपोर्ट ससमय नहीं आ रहा है। मात्र 17 जिलों से ही ऑनलाईन रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं, बाकी जिलों से ऑनलाईन रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है।

(**कार्रवाई**– जनशिकायत कोषांग एवं सभी जिला)

7. **विभागीय कार्रवाई** :– मामलों की गहन समीक्षा की गई। मात्र 22 जिलों से लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त है।

जिला	लंबित मामले		जिला	लंबित मामले
सीतामढ़ी	3		बेगूसराय	1
पूर्वी चम्पारण	1		लखीसराय	1
प0 चम्पारण	1		भागलपुर	1
पूर्णिया	1		गया	1
किशनगंज	2		अरवल	2
कटिहार	1		सिवान	1
अररिया	1		कटिहार	1
समस्तीपुर	2		बक्सर	2

दरभंगा	2		रोहतास	1
सुपौल	2		मुंगेर	1
मधेपुरा	1		शेखपुरा	1

8. **National Population Register (NPR)** :– प्रधान सचिव द्वारा अपर समाहर्त्ताओं को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के संबंध में 10 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है। इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब भेजने का निदेश भी दिया गया।

(**कार्रवाई**– प्रशाखा–4 एवं सभी जिला)

9. **भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–**

(1) इस योजना के अंतर्गत अभी तक 14 जिलों के डाटा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है तथा 04 जिला का डाटा आंशिक रूप से विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा राज्य के मात्र 05 जिले यथा शिवहर, जमुई, कैमूर, गया जहानाबाद, पटना एवं नवादा का भू–अभिलेखों का कम्प्यूटराईजेशन के अर्न्तगत डाटा इन्ट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है; परन्तु विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया गया है। शेष जिलों का कार्य प्रगति पर है, ऐसा प्रतिवेदित किया गया है।

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति के लिए कार्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में भी निदेशित किया गया है कि भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का प्रतिवेदन नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

सभी अपर समाहर्त्ताओं को पूर्व में भी निदेशित किया गया है कि भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए तथा प्राप्त डाटा का अद्यतीकरण एवं सत्यापन कार्य पूरा करते हुए अद्यतन सी0डी0 निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए।

(2) भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित चेक लिस्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्रांक–143 दिनांक 28.01.2015 द्वारा चेक लिस्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। परन्तु उक्त सूचना अब तक मात्र 27 जिलों द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है शेष जिलों को उक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु स्मार पत्र भेजकर भी निदेशित किया गया है।

(3) भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित व्यय का प्रतिवेदन (उपयोगिता प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्रांक–172 दिनांक 02.02.2015 द्वारा किया गया है। उक्त प्रतिवेदन अब तक मात्र 15 जिलों द्वारा ही निदेशालय को उपलब्ध कराया गया। कतिपय जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियॉ पाई गई है, ऐसे में सभी जिलों को पुनः निदेश दिया गया कि भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित व्यय की जांच निदेशालय द्वारा प्राप्त आवंटन के आधार पर व्यय प्रतिवेदन (उपयोगिता प्रमाण पत्र) शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए।

(**कार्रवाई**– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

10. डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण :–

केन्द्र प्रायोजित योजना छस्ल्डच के अंतर्गत सभी अंचलों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कई जिलों के कई अंचलों में स्थल समस्या के कारण भवन निर्माण कार्य बाधित है। उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि अपर समाहर्त्ता अपने–अपने अंचलाधिकारी से वार्त्ता कर भवन निर्माण कार्य हेतु शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए। वैसे अंचल जहाँ भवन निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध हो गया है, वैसे अंचलों की सूची भवन निर्माण विभाग को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए ताकि भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके।

पूर्व में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य समाहर्त्ता स्तर से कराया जा रहा था, निर्माण कार्य हेतु समाहर्त्ताओं को निदेशालय द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इससे संबंधित निदेशालय के पत्रांक–138 दिनांक 27.01.2015 द्वारा मांगी गई सूचना अब तक अप्राप्त है। विचारोपरान्त निदेश दिया गया कि उपरोक्त पत्र के द्वारा मांगी गई सूचना शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए।

(**कार्रवाई**– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

FAX
E-MAIL ज्ञापांक – 10/सम0अ0स0 (बैठक) कार्यवाही– 43/2014 243(10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 30-09-15

प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/ माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/15

(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

D:\Revenue 2015\Sec 10\Proceeding\ADM Meeting 02.09.2015.doc